

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2(ग)ए.सी.पी./86-III/अलेसे-II/8080-8125 दिनांक:- 11/8/2015

कार्यालय आदेश संख्या85...../2015-16

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11 (7) एफडी/रूल्स/2008/दिनांक 12.09.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14(88)एफडी(नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती बैच 1986 उत्तीर्ण कर कार्यग्रहण किया था तथा वर्तमान में जो सहायक लेखाधिकारी ग्रेड -1 के पद पर कार्यरत है जिन्होंने 27 वर्ष एवं अधिक की राजकीय सेवा निरन्तर एवं संतोषजनक पूर्ण कर ली है को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 7 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का तृतीय ए.सी.पी. पी.बी.-2, (9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु 5400/- स्वीकृत किया जाता है।

क.स	नाम लेखाधिकारी ग्रेड-1(सर्वश्री)	सहायक	क.ले. मेरिट संख्या/ बैच	लिन न.	जन्म तिथि	क.ले. पद पर कार्यग्रहण तिथि	तृतीय एसीपी स्वीकृति दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	
1	बलवीर बासीडा		27/86	3382	01.07.63	29.07.88	29.07.15
2	नवल किशोर नागोरी		31/86	5584	03.06.61	25.05.88 A/N	26.05.15
3	बालमुकन्द व्यास		32/86	3410	03.08.64	06.06.88	06.06.15
4	छगनलाल जाट		39/86	2969	01.01.63	06.06.88	06.06.15
5	रामसहाय पारीक		71/86	1287	20.08.55	06.06.88	06.06.15
6	जगदीश खत्री		75/86	2178	31.10.64	11.07.88	11.07.15
7	रामकिशोर गुप्ता		87/86	1291	01.03.61	06.06.88	06.06.15
8	अशोक कुमार कासलीवाल		92/86	3106	06.11.57	30.07.88	30.07.15
9	राजेश कुमार शर्मा		105/86	1293	15.07.62	18.06.88	18.06.15
10	नैमचन्द		109/86	5599	18.07.56	25.06.88	25.06.15
11	प्रभाकर शर्मा		120/86	4709	30.09.64	30.07.88	30.07.15
12	राजेश कटारा		121/86	9091	01.01.65	22.06.88	22.06.15
13	गोपाल भंडारी		126/86	1526	27.09.59	06.06.88	06.06.15
14	गोपीलाल हाम्बड		142/86	1530	15.06.63	06.06.88	06.06.15
15	विष्णुदत्त शर्मा		143/86	3475	01.07.63	06.06.88	06.06.15
16	बाबूलाल सुथार		156/86	3425	05.04.60	06.06.88	06.06.15
17	राजवीर सिंह		157/86	1300	23.04.60	29.06.88	29.06.15
18	रतन लाल प्रजापत		158/86	1302	01.07.64	15.07.88	15.07.15
19	नरेन्द्र कुमार शर्मा		168/86	5601	21.06.65	29.06.88	29.06.15
20	केवलचन्द गहलोत		182/86	8524	03.08.64	11.07.88	11.07.15
21	सफी मोहम्मद		195/86	3684	13.05.65	06.06.88	06.06.15
22	राजेंद्र कुमार गर्ग		216/86	1320	26.02.63	06.06.88	06.06.15
23	शम्भू दयाल घोषा		220/86	3691	01.07.64	20.06.88	20.06.15
24	राम राय शर्मा		221/85	1323	01.07.65	02.07.88	02.07.15
25	हर सहाय शर्मा		239/86	1956	03.04.61	06.06.88	06.06.15
26	कपूर चन्द		247/86	8525	02.06.64	16.06.88	16.06.15

27	सूर्य प्रकाश चिमनानी	250/86	3705	01.07.65	16.06.88	16.06.15
28	राजेन्द्र कुमार सोनी	252/86	1346	15.09.65	22.07.88	22.07.15
29	दिनेन्द्र बी. दवे	258/86	3158	08.07.61	21.07.88	21.07.15
30	अनुराग माथुर	263/86	3181	09.09.62	16.07.88	16.07.15
31	गंगाधर सिंह	264/86	1762	01.07.63	20.07.88	20.07.15
32	महेन्द्र कुमार काबरा	267/86	5307	20.10.65	19.07.88	19.07.15
33	सावर मल शर्मा	273/86	3709	11.12.59	06.06.88	06.06.15
34	दुर्गा प्रसाद दासमा	659/86	3253	22.06.65	23.07.88	23.07.15
35	मालाराम	680/86	5454	01.11.63	21.07.88	21.07.15
36	अमर सिंह वर्मा	687/86	3286	25.07.58	06.06.88	06.06.15
37	किशन लाल बंशीलाल	689/86	8550	01.04.58	16.07.88	16.07.15
38	भरत लाल मीणा	709/86	3779	15.09.62	02.07.88	02.07.15
39	रामनारायण मीणा	720/86	1541	14.03.63	11.07.88	11.07.15
40	महेन्द्र कुमार	721/86	5493	15.06.65	04.07.88	04.07.15
41	जगन लाल जाटव	735/86	8509	05.05.56	06.06.88	06.06.15
42	नत्थूराम मीणा	746/86	5661	29.05.56	16.07.88	16.07.15

उपरोक्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14 (88) एफडी (नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तों के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त तालिका में कम संख्या 1,2,6,9,12,15,16,22,24,25,26,29,32,35,36 एवं 41 पर अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के वांछित वार्षिक कार्य- मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प.2 (17) वित्त/राजस्व/08 दिनांक 27.07.12 द्वारा स्पष्टीकरण के आधार पर गत 9 वर्षों की एपीएआर में से 7 वर्षों की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर उक्त ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ-14(88)एफडी(नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.2009 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 की सेवापुस्तिका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में पे-ग्रेड 4800 में वेतन प्राप्त कर रहे है तथा ए.सी. पी. स्वीकृत तिथि को इनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2(ग)ए.सी.पी./86-III/अलेसे-II/ 8080-8125 दिनांक:-11/8/2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. श्री..... सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय.....
3. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय।
4. उपनिदेशक (ए.सी.पी) विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. निजी पत्रावली मूल आवेदन सहित/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग/ (वेबसाइट हेतु)


(के.एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)